

कृषि वानिकी योजना अन्तर्गत 50000 पौधा तैयार करने हेतु मॉडल प्रोजेक्ट प्रारूप (वित्तीय वर्ष 2025–26)

1. आवेदनकर्ता का विवरणी :-

- आवेदक का नाम :-
- पिता/पति का नाम :-
- पूर्ण पता :- ग्राम-.....पोस्ट-.....थाना-.....मौजा-.....
जिला-.....
- मोबाईल नं०-
- कृषि विभाग पोर्टल पर पंजीकरण (पंजीकरण संख्या) :-

फोटोग्राफ
स्वअभिप्रमाणित

2. नर्सरी का नाम जहाँ कृषि वानिकी का पौधा तैयार किया जायेगा :-

- नर्सरी का नाम :-.....एवं पंजीकरण संख्या :-.....
- पूर्ण पता :- ग्राम-.....पोस्ट-.....थाना-.....मौजा-.....
जिला-.....
- स्थल विवरणी :- स्थल की चौहदी- पूरब-.....पश्चिम-.....उत्तर-.....
दक्षिण-..... खाता संख्या -.....खेसरा संख्या.....रकवा -.....
- भू-स्वामित्व :- स्वयं/वंशावली सहित संलग्न जमाबंदी/पंजीकृत एकरारनामा (Lease)

3. नर्सरी का रकवा :- 0.5 हेक्टेयर, जो पौधों की परिवहन की सुगमता हेतु न्यूनतम जिला सड़क से सम्बद्ध होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जल-जमाव रहित भूमि वाले नर्सरी का चयन सुनिश्चित किया जायेगा।

- चयनित भूमि पर आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई का कार्य स्वयं के संसाधन से किया जायेगा।
- सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था, विधुत् संबंध इत्यादि की सुविधा नर्सरी हेतु चयनित जमीन पर करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. परियोजना प्रस्ताव का विवरणी :-

Model Estimate – Raising 50,000 Saplings in Existing Private Nurseries | ₹5.00 lakh

Target: 50,000 quality seedlings ready for field planting (6–9 months old, species specific).

Cost Head	Amount (₹ lakh)
Seeds/cuttings/scions (incl. source verification)	1.00
Growing media (soil, sand, cocopeat, FYM) & polybags/liners/trays	1.20
Labour (seed sowing, pricking, potting, weeding, irrigation, culling)	1.40
Plant protection & nutrition (biopesticides, micronutrients, hormones)	0.30
Irrigation & electricity/diesel	0.40
Quality control, grading, tagging, certification readiness	0.20
Packing & local transport to cluster distribution points	0.30
Contingency	0.20

अनुशंसित प्रभेद :-

Group	Species (common botanical)	Number of Plants
Timber & Pole Wood	Melia dubia	
Timber & Pole Wood	Gmelina arborea (Gamhar)	15,000
Boundary & Riparian	Syzygium cumini (Jamun)	5,500
Boundary & Riparian	Bombax ceiba (Semal)	5,500
NTFP/Multipurpose	Tectona grandis (Teak)	1,500
NTFP/Multipurpose	Dalbergia latifolia (Indian rosewood)	1,000
	Malabar Neem	9,500

Total saplings: 50,000, rest is upto farmers based on the market conditions. Adjust the mix locally (e.g., higher Kadam/Jamun in flood prone panchayats; more Melia/Gamhar/Fruit bearing in non flood zones).

5. प्रमाणित किया जाता है कि कृषि वानिकी से संबंधित बिहार सरकार द्वारा संचालित अन्य विभागों की योजना से उक्त नर्सरी हेतु सहायतानुदान प्राप्त नहीं किया है, (इस हेतु ₹ 100.00 का Non Judicial Stamp Paper पर Notarised एवं पंजीकृत शपथ-पत्र समर्पित किया जायेगा)।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचना सही है एवं किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण जबावदेही मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध विधिसम्बत् कार्रवाई किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

कृषि वानिकी योजना 2025–26 अन्तर्गत 50,000 पौधा तैयार करने हेतु चेकलिस्ट

1. व्यवसायिक स्थल का अद्यतन जमीन रसीद/भूमि-स्वामित्व प्रमाण पत्र, आवेदक के नाम से होना/वंशावली के आधार पर उक्त जमीन आवेदक के पास होना आवश्यक होगा (वंशावली के आधार पर विधिमान्य भू-स्वामित्व का मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा) अथवा नर्सरी निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की न्यूनतम 15 वर्षों की लीज (पंजीकृत एकरारनामा) पर योजना का लाभ देय होगा।
2. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा ही इस योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, जिसका साक्ष्य मॉडल प्रोजेक्ट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. कृषि वानिकी योजना के तहत पूर्व में किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं लेने से संबंधित शपथ पत्र।